International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

वर्तमान भारत में पंचायती राज की भूमिका

Mitha Ram

Assistant Professor, Political Science, Rajasthan

प्रस्तावना :–

प्राचीन काल से ही पंचायतें किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। स्वंत्रता प्राप्ति के पष्चात् भारत का नया संविधान बना किन्तु उसके मू लप्रारूप मे पंचायतों का प्रावधान नही था। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में गांधीजी ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि निचले स्तर पर पंचायतों को रखना होगा, अन्यथा उच्च और मध्य का तंत्र गिर जाएगा और उनके विचार के अनुरूप देष मे गांवो को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायतों को आधारषिला मान गया था। पंचायतों की वैचारिक अवधारणा के रूप में ही उन्होने 'ग्राम गणतंत्र' की परिकल्पना पर बल दिया था। पंचायत पर गांधीजी के विचार का संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा मे चल रही बहस मे विषद चर्चा हुई थी और पंचायत की सार्थकता पर व्यापक समर्थन मिला था। भारत के गाँवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था मे ं पंचायतो की भूमिका हमेषा ही महत्वपूर्ण रही है । तदुपरान्त संविधान सभा के सदस्य के संथानम ने पंचायत के प्रावधान हेतु एक संषोधन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देषक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में एक संक्षिप्त उल्ले ख को सम्मिलित किया गया ज्ञातव्य है कि नीति निर्देषक तत्व के अन्तर्गत सभी प्रावधानों को लागू करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों पर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। पंचायतों के संबंध में संविधान के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 40 मे ंजिस संक्षिप्त प्रावधान का उल्लेख है वह निम्नलिखित हैः ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी षक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त षासन इकाईयों के रूप मे कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवष्यक हो''।

ब्रिटिष काल में भी भारत के गांवो में ग्राम पंचायतें, जाति पंचायतें और व्यवसाय से संबंधित पंचायतें कार्यरत रही। उस दौर में अंग्रेजों द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को वैधानिक स्वरूप में ढाला जाने लगा। सन् 1859 में पुर्तगाल क्षेत्र गोआ में पार्टेरिया नं. 7575 नामक कानून के द्वारा ''जुण्टा फ्रेग्वेषिया'' नामक स्थानीय स्वषासन संस्थाएं गठित होने लगी। सन् 1870 में बंगाल में 'चौकीदारी अधिनियम'' पारित हुआ। भारत मे स्थानीय स्वषासन संस्थाओं का मैग्नाकार्टा कहलाने वाला प्रस्ताव सन् 1882 में लॉड 'रिपन द्वारा लाया गया। इसमें ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला बोर्डो के गठन का प्रावधान था। इस क्रम में पहला प्रयास मद्रास लोकल बॉडीज एक्ट 1884 के रूप में सामने आया। ऐसे ही कानून अन्य राज्यों में भी बनने लगे।

स्वतंत्रता के पष्चात् 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, किन्तु यह कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों मे सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसी क्रम में विफलता के कारणों को जानने एवं नयी रणनीति सुझाने हेतु बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई।

2 अक्टूबर 1957 को केन्द्र सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिष की गई कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए संस्थाएं गठित कर विकास का सारा कार्य इनको सौंप दिया जाना चाहिए इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए स्थानीय स्वषासन के तीन ढाँचे की व्यवस्था की गई निचले स्तर पर अर्थात् ब्लॉक मे पंचायत समिति और सर्वोच्च स्तर पर यानि जिले मे जिला परिषद।

सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान मे पंचायती राज की नई त्रिस्तरीय प्रणाली की षुरूआत हुई यह उल्लेखनीय है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर राजस्थान मे बलवंत राय मेहता समिति की अनुषंसाओं पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज के उद्घाटन भाषण मे कहा था– ‘‘हम लोग अपने देष मे लोकतंत्र अथवा पंचायती राज की आधारषिला रखने जा रहे है यदि महात्मा गांधी अपने बीच होते तो कितने प्रफुल्लित होते। यह एक एतिहासिक कार्य है और इससे उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि यह ऐतिहासिक कदम उनके जन्म–दिवस पर उठाया गया’’ राजस्थान के बाद आन्ध्र प्रदेष मे पंचायती राज लागू हुआ। फिर 1960–61 तक राज्यों मे अधिनियम बना और पंचायती राज की विधिवत षुरूआत हुई। केन्द्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार के सत्तारूढ होते ही एक बार पुनः ‘ग्राम राज’ की मांग बलवती होने लगी। पंचायतीराज संस्थाओं की दुर्दषा को देखते हुए यह आवष्यक था कि इन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया जाए। इसी क्रम में मंत्रिमण्डल सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा 12 दिसम्बर, 1977 को अषोक मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट ;1978 में उल्लेख किया है ‘‘पंचायती राज उतार–चढ़ाव की कहानी है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह तीन अवस्था से गुजरा है– आरोहण की अवस्था ;1959–64, तक निष्क्रियता की अवस्था ;1965–69, और अवनति की अवस्था ;1969–77,’’ अषोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज की अवनति के चार मुख्य कारणों का उल्लेख किया है।

प्रथम, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कई तरह के लक्ष्य समूहों से संबंधित विभिन्न योजनाओं हेतु नई सरकारी ऐजेन्सियों का जिला स्तर पर सृजन किया गया और सभी को निर्वाचित जिला परिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। नतीजन पंचायती राज को ऐसे वित्तीय अनुदान से वंचित रहना पड़ा।

दूसरा, राजनेताओं का पंचायती राज संस्थाओं को षक्तिषाली बनाने के प्रति कोई उत्साह नहीं था। कुछ राज्यों में तो पंचायती राज संस्थाएँ भंग थी और नए चुनाव को लम्बे अर्से तक टाल दिया गया था।

तीसरा, पंचायती राज की वैचारिक अवधारणा के संबंध मे कोई स्पष्ट चित्र नहीं था। कुछ लोग इसे सरकारी एजेन्सी मानते थे, कई इसे लोकतंत्र का विस्तार, और कुछ व्यक्तियों ने इसे स्थानीय षासन की संस्थाऐं माना था।

चौथा, पंचायती राज संस्थाओ पर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों का वर्चस्व था, अतः आम ग्रामीण के लिए इन संस्थाओं की उपयोगिता घट गई थी। इन त्रुटियों के बावजूद अषोक मेहता समिति ने इस बात का उल्लेख किया था कि ग्रामीण विकास हेतु जहाँ भी इसे जिम्मेदारी सौंपी गई वहाँ अच्छा काम हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात मे इस दिषा में सफल प्रयास हुआ था। अतः पंचायती राज को असफल मानना, इसका सही आकलन नहीं होगा।

अस्सी के दषक मे पष्चिमी बंगाल, कर्नाटक और आन्ध्रपदेष की नवगठित सरकारों की पहल पर पंचायती राज का पुनः उदय हुआ। पष्चिम बंगाल मे 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व मे आई वामपंथी सरकार ने राज्य के पुराने

पंचायत अधिनियम 1972 के आधार पर ही 1978 मे पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाकर इन संस्थाओं को विकास कार्यक्रम, साक्षरता अभियान और भूमि सुधार के कार्यो को सौंपा, उस समय से निरन्तर हर पांच वर्ष की कार्य अवधि पर पष्चिम बंगाल में पंचायतों का चुनाव सम्पन्न हो रहा है। इसी तरह 1983 मे कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में आई जनता पार्टी सरकार ने 1985 में पंचायती राज पर अषोक मेहता समिति के कुछ सुझावों को स्वीकार कर नया पंचायत अधिनियम बनाया और उसी आधार पर 1987 में वहाँ चुनाव सम्पन्न हुआ। इस अधिनियम ने कमजोर वर्गो, अनुसूचित जाति और जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु 18 प्रतिषत सदस्यों का स्थान आरक्षित किया और महिलाओं की सदस्यता हेतु यह प्रतिषत स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। इसी तरह आन्ध्र प्रदेष मे 1983 में एन.टी. रामराव के नेतृत्व मे आई तेलगू देषम् पार्टी में 1986 में पंचायती राज पर नया अधिनियम बनाया जिसका ढाँचा कनार्टक के तर्ज पर था। कमजोर वर्गो और महिलाओं की सदस्यता के साथ–साथ अध्यक्षों के स्थानों हेतु भी आरक्षण का प्रावधान आन्ध्र प्रदेष के नए अधिनियम मे रखा गया।

पंचायती राज के विकास में क्रांतिकारी पहल मई 1989 में हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज पर 64 वाँ संविधान संषोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। इस विधेयक ने पंचायती राज को संविधान द्वारा बाध्यकारी विषय बना दिया गया और इसक स्थायित्व हेतु हर वर्ष पर चुनाव कराना राज्य के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। नतीजन उक्त विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। किंतु सत्तारूढ़ कांग्रेस का राज्यसभा में दो–तिहाई बहुमत नहीं रहने के कारण उस सदन में यह विधेयक पारित नहीं हो सका। पुनः कांग्रेस के नरसिंह राब सरकार के समय 73वें संविधान संशोधन के चुनाव रूप में पंचायती राज पर एक नया विधेयक 29 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा में और 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा में भारी बहुमत से सर्वानुमति के करीबद्ध पारित हुआ। इस बात में हमेशा ही माना जाएगा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देकर मजबूत बनाने की दशा में स्वर्गीय राजीव गांधी की अहम भूमिका थी द्य 73वें संविधान संशोधन का उद्‌गम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में प्रस्तुत किया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक ही था।

73वाँ संविधान संशोघन :–

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को भारतीय संविधान में एक नवें भाग के अनुच्छेद 243 को समाविष्ट कर संवैधानिक मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 243 में 15 उप–अनुच्छेद हैं जिसमें पंचायती राज के प्रावधानों का विवरण है उक्त अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को अनिवार्य रूप से लागू हो गया, संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों को निम्नलिखित वर्णन पंचायती राज की समीक्षा के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसके दिशा निर्देश के तहत ही राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम; एक्ट बनाएं हैं ।

- ग्राम मध्यम (ब्लॉक) और जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ के राज्यों के विधानमण्डलों को मध्यम स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

- पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही (टर्म) पॉच वर्ष की होगी। अवधि समाप्त होने पर छः माह के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अवधि में समाप्ति के पूर्व यदि किसी स्तर की पंचायत भंग होती है तो वैसी स्थिति में भी छः माह के अंतर्गत चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता है।

- हर स्तर पर पंचायत संस्था हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित होगी और वे आरक्षित स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा चुने जाएंगे।

- महिलाओं के लिए भी हर स्तर के पंचायतों की कुल सीटों के एक–तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। इसके लिए हर पंचायत में चुनाव क्षेत्र (वार्ड) आरक्षित होंगे जहां से महिला प्रतिनिधि सीधे जनता चुनी जाएंगी प्रत्येक स्तर की कुल पंचायत संस्थाओं में एक–तिहाई संस्थाओं के अध्यक्ष पद की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगी। इस एक–तिहाई में कमजोर वर्गों की महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। ऐसा प्रावधान है कि पिछड़ी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों में से भी एक–तिहाई इन वर्गों की महिलाओ के लिए आरक्षित किए गए है।

- मध्य (ब्लाक) स्तर या जिला स्तर के पंचायत संस्था का अध्यक्ष उस इकाई के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही चुना जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत (ग्राम पंचायत) के अध्यक्ष के चुनाव की रीति के बारे में संविधान संशोधन अधिनियम उल्लिखित करता है कि ग्राम स्तर की पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की रीति क्या हो, इसका निर्णय राज्य का विधानमण्डल अपनी निधि द्वारा करेगा।

- 73वें संविधान संशोधन के दिशा निर्देश के अनुसार हर पॉच वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। यह आयोग राज्य और हर स्तर के पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण के सिशांत को तय करता है। राज्य वित्त आयोग की अनुसंशाओं पर क्या कार्यवाही हुई है। इस संबंध में राज्य सरकार विधानमण्डल के समक्ष एक विवरण भी प्रस्तुत करती है।
- किसी क्षेत्र की पंचायत संस्था में सदस्य और अध्यक्ष पद के स्थान पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) का सिद्धांत लागू होगा। इसके फलस्वरूप हर पाँच वर्ष बाद चुनाव के सदस्य और अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल जाएगा। इस सिद्दांत के आधार पर आरक्षित से बदलकर उस स्थान को सामान्य सीट कर दिया जाता है और सामान्य को बदल कर आरक्षित स्थान कर दिया जाता है। स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों का परिवर्तन भी चक्रानुक्रम (रोटेशन) के सिद्धांत के आधार पर होगा।

- हर राज्य मे एक राज्य चुनाव आयोग गठित किया जाएगा और इसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। चुनाव आयुक्त सेवा सम्बन्धि शर्ते हाई कोट के न्यायाधीश जैसी होगी। राज्य चुनाव आयुक्त सभी स्तर के पंचायतों के चुनाव हेतु मतदाता, नामावली तैयार करने के अतिरिक्त चुनाव की पूरी कार्यवाही का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करेगा।

- 73वें संविधान अधिनियम, 1992 के साथ ग्यारहवीं अनुसूची' भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

- संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद –243 च (1) में यह उल्लिखित है कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद कोई स्त्री या पुरूष पंचायतों के चुनाव में सदस्य या अध्यक्ष बनाने के लिए योग्य माना जाएगा।

- पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को राज्यों में लागू करना अब संविधान द्वारा अनिवार्य (बाध्यकारी) कर दिया गया है और इसी दिशा निर्देश के आधार पर हर राज्य ने अपने अधिनियम (एक्ट) बनाया है और इसी के तहत राज्यों में वर्तमान पंचायती राज का स्वरूप विद्यमान है ।

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कुछ क्षेत्रों में लागू करना अनिवार्य नहीं है जो निम्नलिखित है–नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए कोई विधि अधीन जिला परिषद हो और पश्चिम बंगाल राज्य के ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ किसी विधि के अंतर्गत दार्जिलिंग गोरखा परिषद विद्यमान हैं, किंतु संविधान संशोधन अधिनियम में यह निर्देश है कि इन क्षेत्रों में भी संशोधन का प्रावधान हो सकता है यदि किसी राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम से कम दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद भी 73वें संविधान संशोधन के उपबंधों का विस्तार उपर्युक्त किसी भी क्षेत्र कर सकती है।

पंचायतो के सम्बन्ध मे सवैधानिक प्रावधान भाग 9 : के अंतर्गत

अनुच्छेद	प्रावधान
243	परिभाषाएं
243 ।	ग्राम पंचायत
243 ठ	पंचायतों का गठन
243 ६	पंचायतों की संरचना
243 क	स्थानों का आरक्षण
243 ꠹	पंचायतों की अवधि, आदि
243 ९	सदस्यता के लिए निरर्हताएं
243 ळ	पंचायतों की षक्तियां, प्राधिकार और उत्तदायित्व
243 ꠹	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की षक्तियां और उनकी निधिया
243 ᵗ	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित आयोग का गठन
243 श्र	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
243 ज्ञ	पंचायतों के लिए निर्वाचन
243 र	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना

243 ड	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों से लागू न होना
243 छ	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
243 ट	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों मे न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

पंचायती राज के अब तक हुए गोलमेल सम्मेलन

सम्मेलन	दिनांक	स्थान	विषय
पहला	24—25 जुलाई, 2004	कोलकाता	कार्यो, कार्मिको तथा निधि सहित प्रभावी विकन्द्रीकरण एवं ग्रामसभा सशक्तिकरण।
दूसरा	28—29 अगस्त, 2004	मैसूर	समानान्तर संगठनों सहित आयोजना एवं क्रियान्वयन।
तीसरा	23—24 सित., 2004	रायपूर	पंचायती राज मे आरक्षण तथा अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार
चौथा	7—8 अक्टू, 2004	चण्डीगढ	संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज तथा कानून
पांचवा	28—29 अक्टू 2004	श्रीनगर	पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट एवं विकेन्द्रीकरण सूचकांक।
छठा	27—28 नव., 2004	गुवाहाटी.	पंचायती राज निर्वाचन तथा अंकेक्षण।
सातवां	47—49 दिस. 2004	जयपुर	पंचायती रांज में सूचना प्रौद्योगिकी, ई. शासन तथा क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण)

पंचायती राज पर राष्ट्रीय स्तर पर गठित समितियां :—

- • सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर अध्ययन दल की रिपोर्ट—बलवंत राय मेहता समिति, 1957

- • न्याय पंचायतों पर विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट, 1958.
- • पंचायत सांख्यिकी पर वी.आर. राव समिति, 1960
- • ग्राम समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अध्ययन दल, जय प्रकाश नारायण समिति, 1960—61
- • पंचायत तथा सहकारिता पर एस.डी. मिश्रा कार्यदल, 1961
- • पंचायती राज प्रशासन पर वी. ईश्वर अध्ययन दल, 1961
- • पंचायती राज आन्दोलन में ग्रामसभा की स्थिति पर आर.आर. दिवाकर समिति, 1962—63
- • न्याय पंचायतों पर जी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल, 1962—63
- • पंचायती राज वित्त पर के.संथानम समिति, 1963
- • पंचायती राज संस्थाओं में लेखा तथा बजट पर एम.रामकृष्णैया अध्यय दल, 1963
- • पंचायती राज्य चुनावों पर के.संथानम समिति, 1965
- • पंचायती राज्य निकायों में लेखा एवं अंकेक्षण पर आर.के. खन्ना अध्ययन दल, 1965
- • पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर जी.रामचन्द्रन समिति 1965
- • जिला प्रशासन पर अध्ययन दल, तख्तमल जैन समिति, 1967
- • भू—सुधारों में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर वी. रामनाथन दल, 1969।
- • पंचायती राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति, 1978
- • ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रशासन पर जी.वी.के.राव. समिति कार्ड समिति 1985 ।
- • पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा पर एल.एम.सिंघवी समिति, 1986।

- • जिला आयोजन पर वी.रामचन्द्रन विशेषज्ञ दल, 2005 है
- • न्याय पंचायत पर विधेयक निर्माण हेतु प्रो. उपेन्द्र बख्शी समिति, 2006
- • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग छठी रिपोर्ट वीरप्पा मोईली, अक्टूबर, 2007 ।

पंचायती राज पर राज्य सरकारों की समितियां :–

राजस्थान–हरिशचन्द्र माथुर समिति–1963 राजस्थान प्रशासनिक सुधार समितिद्व सादिक अली समिति–1964, गिरधारी लाल व्यास समिति– 1973, हरलाल सिंह समिति–1990, अरूण कुमार समिति–1996, शिवचरण माथुर आयोग–2000 (राजस्थान जय प्रशासनिक सुधार आयोग) गुलाब चन्द कटारिया मंत्रिमण्डलीय उप समिति–2004–05

- उड़ीसा–साहू समित्रि–1958
- मध्यप्रदेश–एम.पी.शर्मा समिति 1963
- आन्ध्रप्रदेश–पुरूषोत्तम पाई समिति 1964, रामचन्द्र रेड्डी समिति–1965, सी. नरसिम्हा समिति–1972–74
- हरियाणा–माडू सिंह समिति–1972
- उत्तर प्रदेश–गोविन्द सहाय समिति–1959, राममूर्ति 1965
- तमिलनाडु–टी.ए. वर्गीज समिति–1973
- हिमाचल प्रदेश–हरदयाल सिंह समिति–1965
- कर्नाटक–.श्री वैंकटप्पा समिति–1949–50, डी.एच. चन्द्रशेकरैया समिति–1953, कोण्डाज्जी
- बसप्पा समिति–1963, पी.आर. नायक समिति–1996
- गुजरात–पारिख समिति–1960, जिनाभाई दर्जी समिति–1972–73, रिखबदास शाह समिति–1978
- पंजाब–बादल समिति–1969
- असम–के.पी. त्रिपाठी समिति–1963
- केरल–बी.रामचन्द्रन समिति–1988

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. महीपाल, 2006, पंचायती राज, चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ।
2. आर.पी. जोशी एवं रूपा मंगलानी, 2003, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3. वी.सी. नरूला, 2009, पंचायती राज व्यवस्था, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
4. अमित पुरोहित (2009) पंचायती राज व्यवस्था प्रकाषन राजस्थान पत्रिका
5. डि.डी. बसु भारत का संवधिान
6. जी.एस. नरवानी (2001) पंचायत प्रषासन क्या और कैसे ? संकाये एवं समाधान, यूनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

7. सुरेन्द्र कटारिया (2007) पंचायती राज संस्थाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य नेषनल पब्लिकेषन हाउस जयपुर
8. पंचायती राज अपडेट नवम्बर (2003) इंस्टीट्यूट ऑफ सोषल साइंसेज नई दिल्ली